

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES:

ACT. XXI OF 1860.

No. S/ 10081

of

1979

I hereby certify that ग्रन्थालय सिविल एजेंसी

शिल्प समिति

has this day been registered under the Societies

Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand at Delhi this 25 day

of

July



one thousand nine

hundred and

30/7/79

REGISTRATION FEE OF RS: 5/- PAID.

Certified to be true Copy  
4-8-95  
Registrar of Society Delhi

REGISTRAR OF SOCIETIES:  
DELHI ADMINISTRATION  
DELHI.

Office of the Registrar of Society

C.P.O. Building Kashmere Gate,  
DELHI

K. K. 21/3/79  
for 1/7/79

श्री गुरुत्यार सिंह स्मृति शिक्षा समिति

का

स्थापन - पत्र

- 1- समिति का नाम : श्री-गुरुत्यार सिंह स्मृति शिक्षा समिति, होगा ।
- 2- समिति का कार्यालय : समिति का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व डा० पूँठ क्ला, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही रहेगा ।
- 3- उद्देश्य :-
- 1) वात विद्या मन्दिर पूठ क्ला, दिल्ली-४१ को छवालू स्थ से संचालन करना तथा उसका प्रबन्ध करना ।
  - 2) नर्सरी से प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के लिये सूत, गुस्तुत एवं कलौन आदि धौलना ।
  - 3) संस्कृत, प्राकृत एवं पाती वादि भाषाओं एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार - प्रतार के लिये विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की स्थापना करना ।
  - 4) चरित्र निर्माण का शिक्षा देना एवं छात्रों में समाज, राज्य एवं पिश्व की सेवा का नागरुक करना ।
  - 5) बालोपयोगी एवं समाज उपयोगी प्रौढ़ों एवं ग्रन्तों का प्रकाशन करना ।
  - 6) याहेलार्डों के लिये खिलाई के द्वारा स्थापना करना ।
  - 7) पिछड़े वर्ग एवं देहात के क्षेत्रों में नेःशुल क औषधामालार्डों की स्थापना करना ।
  - 8) प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा स्थापना करना तथा उनका प्रबन्ध करना ।
  - 9) वीणा-वस्त्राल के लिए वौग वाशर्डों की स्थापना करना तथा लैर्डों के वौग वस्त्राल हेतु पूरी जानकारी देना ।

- 10) वर्चों के मनोरंजन की व्यवस्था करना तथा समयसमय पर सांस्कृतिक ब्राह्मणों का आयोजन करना ।
- 11) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये चल रवं अथ सम्पति भैट के स्मर्त में स्वीकार करना ।
- 12) लौद्योगिक प्रशिक्षण के द्वारा की आपना करना तथा लौगीं को उद्योग सम्बन्धित पूर्ण जानकारी देना ।
- 13) उद्योग से सम्बन्धित नई - नई छोड़ करने में सरकार की सहयोग देना ।
- 14) नव-युवकों में अचै नागरिक बनने की मापदण्ड उत्पन्न करना ।
- 15) गरीब युवकों के लिये पौष्टिक बाहिर की व्यवस्था करना ।
- 16) वैरोजगार की रोजगार संबन्धित जानकारी देना तथा बिन-सिन के द्वारा स्थापना कर के वैरोजगारी दूर करने में सरकार का सहयोग देना ।
- 17) ऐसे सभी कार्य करना जो सौतावटी/समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों ।

उपर्युक्त उद्देश्य नं० । से 17 तक सभी सामाजिक उद्देश्य हैं और समिति की जो भी वाय होगी, वह केवल समिति के उद्देश्यों पर ही धर्म की जावेगी ।

श्री मुख्यार सिंह समृद्धि शिक्षा सभिति

के

नियम व उप-नियम

- (1) सभिति का नाम श्री मुख्यार सिंह समृद्धि शिक्षा सभिति, दौगा।  
(2) सभिति का कार्यालय स्कूल ग्राम व वाक्साना-पठन क्लास, दिल्ली - १००७१,  
स्थीराज्य संघ, दिल्ली, मैदान रोड।

- (3) सदस्यता कोड़े के स्तरीय या पूर्णांचलीय आयु (५ वर्षों से लगाएं)  
की हो तो सभिति के नियम व उप-नियमों की  
तरफ, मन, घन एवं पूर्ण निष्ठा के साथ अनुसन्धान  
हो वह व्यष्टि इस सभिति का सदस्य तब नवकर्ता है।  
उपलब्धता दिन प्रकार की होंगी 4--

(1) अंगी वन सदस्य



(2) भाजीवन सदस्य

आजोवन भाजीवन वे भाजीवन योगी हो सभिति को  
१०००) रकमा काढ भी जाइली हो राजी सभिति  
के जायगी हो जिए कोड़े हो कटू प्राप्ति करें। भाजीवन  
सदस्यता हम दान, दातानों के हजार पर निर्दि देती।  
राहि प्रभावी भाजीवन सदस्य भाजीवन हो।

(3) प्राप्तिष्ठित सदस्य

कैसे होगी जानी जाए राकों जिकरों कायकालियों  
वहाँ हो ज्ञाना वाहौं।

(4) रायारण सदस्य

शिला ग्राम-प्रार जिलान्तरों वै ति रथात  
एकी बाला द्वे ग्राम नामिक उभिति को ११) रकमी  
मुक दैश नियानुगार उद्देश्य त्वं का अंगारो  
है। जिकरो अवधि पावं कठा है।

कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित पदोंपर वोट :-

(१) प्रधान	१
(२) उप-प्रधान	१
(३) सचिव	१
(४) उप-सचिव	१
(५) कांगड़ाधन	१
(६) गढ़स्थापना	१
	साल

कार्यकारिणी समिति के अधिकार प्रबन्ध करते :-

- (१) समिति के मस्त वायों वे देखना लगता है।
- (२) समिति को जब लैजार लगता है।
- (३) समिति के कल्पनाएँ को लिए अवैधी किया जाता है।  
जो उनका देख लगता है तो उनकी से  
मिलता है।
- (४) दिवल रवाना होने पर उनका लैजार लगता है।
- (५) दिन-भिन्न बाह एवं भूत वायों से लैजार होता है।
- (६) समिति के वायों की यात्रा लैजार होता है।



पाठ्यारण समिति के अधिकार प्रबन्ध करते :-

- (१) समिति के सफ्ट आय-लाइन को यास लगता है।
- (२) समिति के किसी एवं एक-सिमों में चलौट लगता है।
- (३) वायोंकारी समिति जो तुलाव करता है।

कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार प्रबन्ध करते :-

- (१) प्रधान :- कार्यकारिणी समिति शोरे पाठ्यारण समिति के वायों वे बड़ाहाला होंगा। दाक्र एवं ताने पर यह गिरावधि यह दैने का अधिकार होगा। समिति के वायों के लिये ५०) रुपया तक व्यय करने का अधिकार होगा तथा उसे अधिक की राशि के लिये कार्यकारिणी समिति से इकीजूत होनी अनियाय होगी।

दाना॑ उप-प्रधान, प्रधान को अनुपस्थिति में  
उनके कायो॑ के दैत्याल वर्षे॑ लया हर कायो॑॥  
उनको॑ सह्याँग दीं॥

( २ ) मात्रामन्त्री :-

यह समिति के और से हर प्रकार का पञ्चव्यवहार करेगा  
और कायदङ्कागिणी समिति और साधारण समिति  
के लैंडल आदि दुनाने का हज़र पूर्ण अधिकार होगा।  
समिति वह प्रमुख आगे व बाह्य का व्याप्रैट समिति  
जो शिवर काले कायदङ्कागिणी समिति व साधारण  
समिति के लैंडल में प्रस्तुत करेगा। समिति के प्रमुख  
आद्यों की देखनाल करेगा। और मैश विह मरुकी  
ले इस समिति के आवंशक मताल्पत्री होगे। पान्तु  
इनके सामन्यपत्र देने पर, जो उनमें इन्हों के लिए लात्  
इस पद का बुनाव साधारणा विभिन्न करा होता।  
समिति के लायों के लिए उन्होंने देखना लाभ बढ़ाव करने  
का इन्हें पूर्ण अधिकार किया। उन इन्हें लायों की  
लाभ के लिए कायदङ्कागिणी समिति ने एक समिति बना  
लोन्हाल दी है। पान्तु उन्होंने वहाँमें तो भद्रागत्यों को अप्रियता प्र-  
द्वारा जो अप्रसरण के बहुमत से पास किए गए हों काम्यकारसभी से निपटा  
कर राफ्टर है।

(६) अंग्रेज़ - रामेश्वर

यह भरती के अनुसारिति ने उनके प्रभुत्व कालों  
के देखाये हैं।

(1) ~~संक्षिप्त~~

यह वैसी बाले भट्टेलों से जन्मा डक्टर होगा  
जो अधिकृत के लकड़ी राष्ट्रीय का छोड़ देंगा।  
रपैगा । ३०) - स्नायर को राशि को अपने पास  
उठने का पूर्ण अधिकार होगा । इसी तरीके राशि को  
के आदि में जाकर जाना होता । जो उसका  
किसारी के लिये नियमितिका एवं विकारिगाह के  
स्वल्पान्वर होने जेकार है ।

(१) सहायता (२) कौटुम्बिक

- १) यदि कोई सदस्य समिति के नियम व उप-नियमों को नहीं मानता है तो उसे सदस्यता नहीं दिकालने का कार्यकारिणी समिति वही पूर्ण अधिकार होगा।
- २) मूल्य दौ-जै पर, पारपन होने पर व त्याग-न्याय होने पर उसकी सदस्यता कार्यकारिणी समिति द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।
- ३) नियारित शुल्क न देने पर, उसके सदस्यता कार्यकारिणी समिति द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।

#### (१) चायाल्यः-

चायाल्य में कोई भी कैद आदि प्राह्लृदयना हो वह समिति के नाम हो दें जाएगा और समिति के नाम से ऐसे काले दरवाजे के द्वारा द्वारा अधिकार होना चाहिए। ये किंवद्दन १९५६ की आरा ६ के अनुसार होगा।

#### (२) संशोधनः-

समिति के ग्रापन-पत्र में संशोधन का ना हो तो वह संघ द्वारा दरणा अधिनियम (१९५१) के धारा १२ व १३ के अनुसार होगा।

#### (३) विघटनः-

समिति को नदि विभान द्वारा जालीय द्वारा दरवाजे वह इन्हीं द्वारा दरवाजे के द्वारा १२ व १३ के अनुसार होगा।

(४) श्री राजा दास, दिल्ली, ने भारत सभाली समिति परिषद्धा अधिनियम १९५० का ११ (प्राजाल सुखी विल अधिनियम १९५७) के

१७। त्रणः— समिति को यह अधिकार है कि किसी भी बैक, पित्तीय संस्था, अधिकारी ते त्रण ते तक्ती हैं।

त्रिलोक (१)

कायर्कारिणी समिति की ब्लैक महिने में एक बार होनी अनिवार्य होगी।

(2)

साधारण लभिति की क्षेक में कर्म में एक बार हीनी अनिवार्य होगी ।

) कौरम :-

कार्यकारिणी भविति और साधारण भविति की छेत्रों में ११३ सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति में टैक स्थगित कर दी जायेगी शायदीरिणों भविति का कार्यकाल पुकार होगा।

10

समिति का चिल्ड्रन वडा १ अपूर्ण, से ३१ मार्च तक होगा।

(२) चूनाव प्रणाली:-

कार्यकारिणी उनिति के पदलाभ का दूनाव  
साधारण राष्ट्रीय संघर्ष शारा होगा और कार्य-  
कारिणी जागति के बुने हुए तदन्त ही पदाधिकारिय  
का कुप्रतिकर्ष है। दूनाव हाथ ठाल ही होगा।

(1) चुनाव स्थिरो मैमना :-

जार्यकालीन इमिति के बैने हुए फूस्याँ के नाम,  
घर भा पता, व्यवहार, तथा जार्यित हुए पद के एक  
मूली हर जार्य संभापनिक कायदिकों में से दी  
जाएगी जो कि एवट १८६४ में धारा ५ के अनुसार  
होगी।

(२) सदस्यता ऐ अचित का ना :-

(१) यदि कोई उद्देश लाभात्मक तिन 'ठेकों' में स्थित  
किये, इनका कै जास्तीत नहीं होता है तो उसे  
मद्दत्यता दे कियरने का कार्यकारिणी समिति को  
पूर्वांश्चिकार होगा।